

16/11
22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी-
वकील अनुपस्थित। न्यायालय में
बार-बार आवाज लगावने के बावजूद
सायं 5:00 बजे तक वादी एवं वादी वकील
में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः प्रकरण अदम दायिरी एवं
अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली अदम पैरवी में कलक
शुमार लेकर रजिस्टर ले कम ही
जावे। बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हो।

SDO